अपील/डिक्री/टीए/4443/2005/चित्तोड़गढ़
भंवरलाल बनाम मोहनी बाई

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4443/2005/चित्तौडगढ़

1– भवंरलाल (मृतक) पुत्र रामनारायण शर्मा

2– भागीरथ (मृतक) पुत्र रामनारायण जरिए कायममुकामः–

2/1 कृष्णचंद
2/2 गोपाल — पुत्र/पुत्री भागीरथ
2/3 सीता
2/4 शान्ता

3– खेमराज पुत्र रामनारायण शर्मा

4– जमनालाल (मृतक) पुत्र रामनारायण जरिए कायममुकाम :–

4/1 भगवती बेवा जमनालाल
4/2 राजू
4/3 संजय — पुत्र/पुत्री जमनालाल
4/4 चन्द्रा
4/5 कमला
4/6 प्रेम
4/7 धापू

5– गोरधन पुत्र रामनारायण शर्मा

समस्त निवासी मेधपुरा तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– मोहनीबाई द्वारा भगवतीलाल नाहटा

2– रमेशचन्द्र जरिए माता मोहनीबाई द्वारा भगवतीलाल नाहटा

3– कौशल्या जरिए माता मोहनीबाई द्वारा भगवतीलाल नाहटा

समस्त निवासी चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ़।

4– मुन्नाबाई पत्नी नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मेधपुरा तहसील बेगू हाल काटून्दा तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ़।

5– राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेण्ट्स

अपील/डिक्री/टीए/4443/2005/चित्तोड़गढ़
भंवरलाल बनाम मोहनी बाई

खण्डपीठ

श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मदनलाल गुर्जर,अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 23 नवम्बर, 2021

यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम) सीकर के निर्णय दिनांक 21–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं आदेश 7 नियम 1 सीपीसी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेघपुरा तहसील बेंगू में स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 32, 76, 618, 633, 821, 828, 830, 831 लगायत 839 कुल किता 16 रकबा 74 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्मिलित खातेदारी की जायदाद है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुन्नाबाई स्व0 नंदकिशोर की पहली पत्नि है एवं वादी संख्या 1 दूसरी पत्नि होकर वादी संख्या 2 व 3 स्व0 नंदकिशोर के पुत्र पुत्री हैं । प्रतिवादी संख्या 6 कभी नंदकिशोर के साथ नहीं रही किन्तु दूसरा विवाह नहीं करने से नंदकिशोर की विधवा के रूप में अपने पिता के साथ रहती है । इस प्रकार वह भी रामनारायण के परिवार की सदस्य है एवं समस्त आराजीयात में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन कराकर हिस्सा प्राप्त कराने की अधिकारी है । किन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा हिस्सा देने से मना करने पर उसके द्वारा वाद उपखण्ड अधिकारी, बेंगू के न्यायालय में प्रस्तुत किया । उक्त वाद का जबावदावा अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार किया एवं कथन किया कि वाद में वर्णित जो सजरा दिया गया है वह सही नहीं है व रेस्पोडेण्ट/वादी सामाजिक स्तर पर अपीलाण्ट के परिवार के सदस्य नहीं है जिन्हें यह वाद लाने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 4 मुन्नाबाई ही नंदकिशोर

की सम्पत्ति में हक रखती है। रेस्पोडेण्ट/वादिया मोहनीबाई का नंदकिशोर की सम्पत्ति में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है इसलिए वाद खारिज किया जावे। दावे व जबावदावे के आधार पर 3 तनकियात कायम की गईं । उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18–1–2003 द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद डिक्री कर रेस्पोडेण्ट/वादी संख्या 2 व 3 को मृतक नंदकिशोर के 1/6 हिस्से में से 2/2 हिस्से अनुसार तथा प्रतिवादी संख्या 4 मुन्नाबाई को 1/3 हिस्से अनुसार तथा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हिससे के अनुसार बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी की । अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–7–2005 द्वारा अपील को अस्वीकार कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4– अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं । उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद भ्रमात्मक था जो डिक्री किए जाने योग्य नहीं था और ना ही संधारण योग्य था केवल सरसरी तौर पर परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए हैं, जो निरस्त योग्य हैं । तनकी संख्या 1 सही प्रकार से निर्णित नहीं की गई । विवादित भूमि रामनारायण के नाम दर्ज थी एवं उनके स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 128 अपीलाण्ट एवं नंदकिशोर के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नंदकिशोर का हिस्सा उनकी पत्नी मुन्नाबाई प्राप्त करने की अधिकारी है क्योंकि मोहनीबाई नंदकिशोर की विवाहिता नहीं है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसे नंदकिशोर की सम्पत्ति में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । मोहनीबाई से यदि कोई संतान पैदा होती तो उन्हें भी मुन्नीबाई के होते कोई अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी का निस्तारण सही प्रकार से नहीं किया । इसी प्रकार तनकी नंबर 2 में विचारण न्यायालय ने यह लिखा है कि रेस्पोडेण्ट/वादिया मोहनीबाई को नंदकिशोर विवाह करके लाया था जिसकी पुष्टि बयानों से सिद्ध है । मोहनीबाई नंदकिशोर की पत्नी थी यह नंदकिशोर की मृत्यु पर उसके स्थान पर नौकरी करने एवं तनख्वाह लेने से स्पष्ट होता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मोहनीबाई को विवादित भूमि पर कोई अधिकार स्वीकार नहीं किया बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को नंदकिशोर द्वारा धारित भूमि में से मुन्नाबाई के साथ हिस्सा देने में कानूनी त्रुटि की है । रेस्पोडेण्ट/वादी का कब्जा काश्त नहीं है कब्जा प्राप्ति की दादरसी के

अभाव में वाद चलने योग्य नहीं था। तनकी नंबर 3 का निर्णय करते समय रेस्पोडेण्ट/वादीगण को संयुक्त खातेदार माना गया है जबकि संयुक्त खातेदार केवल मात्र नंदकिशोर की पत्नि मुन्नाबाई है । इस प्रकार का वाद लाकर रेस्पोडेण्ट/वादिया मोहनीबाई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान दिए बगैर निर्णय पारित किए है जो निरस्त किए जाने योग्य है । उपखण्ड अधिकारी का निर्णय आदेश 20 नियम 5 व आदेश 20 नियम 4(2) सीपीसी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर रेस्पोडेण्ट/वादिया का वाद खारिज किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में जबाव देते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–7–2005 विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है । विचारण न्यायालय ने पूर्ण दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया था। अपीलार्थी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ ने उचित रूप से निरस्त कर दिया है । अपीलार्थी का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है असत्य है । प्रकरण विवादित भूमि के विभाजन का था जो कि राजस्व न्यायालयों के ही क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । इसलिए इस संबंध में उठाई गई आपत्ति निराधार है । अपीलार्थी का यह कथन कि प्रत्यर्थीगण मृतक नंदकिशोर के वारिसान नहीं है कहने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण को नंदकिशोर के 1/6 हिस्से पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि नंदकिशोर 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। प्रत्यर्थी संख्या 1 नंदकिशोर की विवाहिता पत्नी है या नहीं इससे अपीलार्थी को कोई सरोकार नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 4 ही इस संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकती है । इस संबंध में 2002 आर.आर.डी. पृष्ठ 607 में विस्तृत निर्णय दिया गया है और इसमें अभिमत व्यक्त किया गया है कि अवैध विवाह से उत्पन्न संतान अवैध नहीं हो जाती है । इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 मृतक नंदकिशोर की पुत्र/पत्री है । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी की यह आपत्ति स्वीकार्य नहीं है कि वाद खेत विभाजन का था और बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये वाद पोषणीय नहीं था । माननीय राजस्व मण्डल ने 1982 आर.आर.डी पृष्ठ 158 में इस संबंध में अभिमत व्यक्त किया है कि वाद पोषणीय है। इस अपील में कोई सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1982 आर.आर.डी.

पृष्ठ 158, 2002 आर.आर.डी. पृष्ठ 607, 2004(4) आर.एल.डब्ल्यू पृष्ठ 2358, 2006(1) आर.एल.डब्ल्यू(RJ) पृष्ठ 218, 1996 ए.आई.आर. एससी पृष्ठ 1558, 2000 डी.एन.जे. एससी पृष्ठ 192 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपान्त अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 128 से विवादित आराजी पर भंवरलाल , भागीरथ , खेमराज, जमनालाल, नंदकिशोर, गोरधन पि0 रामनारायण खातेदार बन गए। वादीगण नंदकिशोर के उत्तराधिकारी बनकर आये हैं। विवादित भूमि में नंदकिशोर का 1/6 हिस्सा था । इस प्रकार नंदकिशोर के वारिसान 1/6 हिस्सा बंटवारा करवाने के अधिकारी थे। अपीलार्थीगण का यह कथन कि वाद केवल भूमि के बंटवारे का था खातेदारी अधिकारों का घोषणा का नहीं था। इसलिये जब तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है । प्रत्यर्थीगण का कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल ने इस संबंध में 1982 आर.आर.डी. पृष्ठ 158 में निम्न अभिमत प्रकट किया है कि :–

> Rajasthan Tenancy Act, sec 53 -Suit for division of holdings by ptff, recorded as co-tenant where deft only. shown as khatedar in jamabandi maintainable .
>
> (6) The only point of law arising in the second appeal is whether a suit for division of holding without seeking a declaration of rights is maintainable . It is admitted that in the Jamabandi of Smt. 2020-2023 only appellant defendant has been shown as khatedar of the suit land Section 53 of the Act lays down that a division of holdings can be effected either by an agreement between the co-tenants or by a decree or an order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for purpose of dividing the holding. It is clear that a co-tenant has not been difined in the Act. The Act no-where says that a co-tenant is one who is recorded as such in the Annual Register. Nor does section 53 lay down that a recorded co-tenant only can brings a suit. A person who holds tenancy rights jointly with another person will be a co-tenant even if his name is not recorded as such in the records of rights. To our mind a person who is a co-tenant even though he is not recorded as such can bring a suit under section 53 of the Act

इस प्रकार उपर्युक्त अभिमत के अनुसार नंदकिशोर के विधिक वारिसान बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जहाँ तक वादिनी संख्या 1 मोहनी बाई का मृतक नंदकिशोर की

पत्नी होने का संबंध है इस संबंध में आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 607 में अभिमत व्यक्त किया है कि एक व्यक्ति की विवाहित पत्नी होने के बावजूद यदि अन्य कोई पत्नी भी है तो उसके पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होंगे लेकिन उसके बच्चों के अधिकार होंगे। इस प्रकार वादी संख्या 1 व 2 मृतक नंदकिशोर के पुत्र व पुत्री है। इसलिए वे नंदकिशोर की भूमि में से 2/3 हिस्से के अधिकारी है और प्रतिवादी संख्या 4 मुन्नाबाई मृतक नंदकिशोर की वैध पत्नी है इसलिए नंदकिशोर के हिस्से की 1/3 भाग की भूमि की वह भी खातेदार समझी जायेगी। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगू एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ ने भी यही आदेश दिया है। जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है एक रिकार्डेड खातेदार का कब्जा भूमि में स्वतः ही माना जाता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जो विधि के प्रावधानों के अनुसार और न्यायसंगत है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय दिया है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि तनकी सही नहीं बनाई गई तो इस संबंध में उन्होंने पूर्व में ही विचारण न्यायालय में आपत्ति क्यों नहीं प्रकट की ? अब अपील के स्तर पर ऐसी आपत्ति ग्राह्य नहीं है ।

8– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय पूर्णतः सही व उचित होने के साथ ही तर्कसंगत भी है । अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

9– अतः उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य